उपायुक्त कार्यालय, साहेबगंज
(जिला निर्वाचन शाखा)

–: आम सूचना :–

भारत निर्वाचन आयोग का पत्रांक 23.01.2019 – ERS/दिनांक 19.02.2019, पत्रांक 641/दिनांक 19.02.2019 एवं 643/दिनांक 19.02.2019 द्वारा छुटे हुए योग्य मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में दर्ज किये जाने हेतु दिनांक 23.02.2019 एवं 24.02.2019 को सभी मतदान केन्द्रों पर विशेष कैम्प आयोजित करने का निदेश दिया गया है।

उपरोक्त परिपेक्ष्य में आम नागरिकों को सूचित किया जाता है कि वे अपने– अपने मतदान केन्द्र पर जाकर अंतिम रूप से प्रकाशित मतदाता सूची का एक बार पुनः दिनांक 23.02.2019 एवं 24.02.2019 को अनिवार्य रूप से निरीक्षण करें तथा अभी भी उनका नाम मतदाता सूची में निबंधित नहीं है या किसी कारण से छुट गया है, अथवा कोई प्रविष्टि त्रुटिपूर्ण है तो यथा स्थिति प्रपत्र 6,7,8 में संबंधित बी0एल0ओ0 से निःशुल्क प्राप्त कर उसे शुद्ध– शुद्ध भरते हुए संबंधित बी0एल0ओ0 को उपलब्ध कराते हुए उनसे प्राप्ति रसीद प्राप्त कर लें।

ध्यान रहे मतदाता सूची में नाम निबंधित नहीं रहने से मतदान करने से वंचित रह जायेंगे। अतः इस अवसर का भरपूर लाभ उठावें।

ह०—

उप निर्वाचन पदाधिकारी,
साहेबगंज।

ज्ञापांक 136/निर्वा0, साहेबगंज, दिनांक 20/02/2019

प्रतिलिपि – जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, साहेबगंज को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि उक्त आम सूचना दिनांक 21.02.2019 को दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित कराया जाय।

प्रतिलिपि – जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, साहेबगंज को सूचनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि जिले के वेबसाईट पर उक्त आम सूचना आज ही अपलोड कराया जाय।

प्रतिलिपि – सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, साहेबगंज जिला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि – सभी सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी –सह– प्रखंड विकास पदाधिकारी, साहेबगंज को सूचनार्थ। निदेश के आलोक में आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें एवं व्यापक प्रचार–प्रसार करते हुए विशेष कैम्प को सफलता पूर्वक संपादन करावें।

20/2/19

उप निर्वाचन पदाधिकारी,
साहेबगंज।